भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1280
(जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

कर से छूट और लाभ

1280. **श्री कृपानाथ मल्लाहः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत करदाताओं के मध्य कर छूट और लाभ के बंटवारे का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने मध्य वर्ग को कर छूट से अधिक लाभ दिलाने के लिए कौन सी विशेष योजना/उपाय लागू किए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क)

(i) आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; बुनियादी सुविधाओं का निर्माण; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र, व्यक्तियों द्वारा बचत करने पर और दान करने पर कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों/एचयूएफ के संबंध में अधिनियम के तहत कर रियायतों और लाभों के कारण प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

तालिका 1: प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

वित्तीय वर्ष	कॉरपोरेट्स के लिए (करोड़ रुपये में)	व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए (करोड़ रुपये में)
2019-20	94,109.83	1,55,429.45
2020-21	75,218.02	1,28,244.23
2021-22	96,892.39	1,68,566.30
2022-23	88,109.27	1,96,678.95
2023-24*	98,999.57	2,20,988.47
कुल	**4,53,329.08**	**8,69,907.40**

स्रोत: संबंधित वर्षों का प्राप्ति बजट

**वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व प्रभाव का अनुमानित राजस्व प्रभाव है।*

(ii) पिछले पाँच वर्षों में व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव **8,69,907.40 करोड़ रुपये** रहा है। इसकी तुलना में, पिछले पाँच वर्षों में कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव **4,53,329.08 करोड़ रुपये** रहा है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि सरकार ने व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाताओं को लाभ पहुँचाने वाले भारी राजस्व का छोड़ दिया है।

(ख)

आयकर प्रावधानों के अनुपालन को सरल, कम और आसान बनाने तथा मध्यम वर्ग के करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने के लिए, बजट 2020-21 में नई कर व्यवस्था लागू की गई थी। लगभग 75% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है। इसे चिह्नित किया गया है कि बजट 2025 में प्रस्तुत प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों का एक उद्देश्य मध्यम वर्ग के करदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार करना था। मध्यम वर्ग के करदाताओं को लाभान्वित करने वाले कुछ उपायों पर नीचे चर्चा की गई है।

- **मूल छूट सीमा में वृद्धि**: बजट 2020-21 में शुरू की गई नई कर व्यवस्था के तहत, आयकर से छूट वाली कुल आय सीमा यानी 'शून्य' आयकर स्लैब 2.5 लाख रुपये तक थी, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 3 लाख रुपये और बजट 2025-26 में बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया।

- **धारा 87 ए के तहत छूट:** बजट 2023-24 में, नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा लागू की गई थी। तदनुसार, 7 लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति नई कर व्यवस्था के तहत छूट के कारण कोई आयकर नहीं देते हैं। बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत निवासी व्यक्तियों के लिए छूट को और बढ़ा दिया गया है ताकि अगर उनकी कुल आय 12 लाख रुपये तक है (विशेष दर आय को छोड़कर), तो उन्हें कर न देना पड़े। इस सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से, लगभग एक करोड़ करदाता, जिन्हें पहले 20,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक का कर देना पड़ता था, अब 'शून्य' कर का भुगतान कर रहे हैं। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण, वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये है। नई कर व्यवस्था के तहत पहले दी गई सीमांत राहत 12 लाख रुपये से थोड़ी अधिक आय पर भी लागू है।

- **आयकर दरों में कमी:** बजट 2020-21 में नई कर व्यवस्था की शुरुआत के बाद से विभिन्न आय स्लैब में व्यक्तिगत आयकर दरों में लगातार कमी आ रही है। पिछले बजट 2025-26 में उच्च कर दर @ 30% 24 लाख रु. से अधिक की कुल आय पर लागू की गई थी. बजट 2020-21, बजट 2023-24, बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) और बजट 2025-26 में घोषित आयकर दरों का स्लैब-वार विवरण **अनुलग्नक क में दिया गया है।**

- **मानक कटौती सीमा में वृद्धि:** बजट 2023-24 में, नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000/- रुपये की मानक कटौती उपलब्ध कराई गई थी। बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में यह सीमा बढ़ाकर 75,000/- रुपये कर दी गई थी। इसी तरह, बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया था। इससे लगभग चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली है।

- **नई कर व्यवस्था के तहत रियायत:** नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाता कुछ रियायतों का लाभ भी उठा सकते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 25 लाख रुपये तक की छुट्टी नकदीकरण, एनपीएस के तहत नियोक्ता के अंशदान में कटौती में वृद्धि, वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुछ भत्ते जैसे दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता आदि और ग्रेच्युटी राशि शामिल हैं। (अनुलग्नक ख देखें)।

- **टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों का युक्तिकरण:** पिछले बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय और किराये की आय आदि जैसी कुछ आय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती की सीमा बढ़ा दी गई थी **(अनुलग्नक ग देखें)**। इसके अलावा, बजट 2025-26 में शिक्षा उद्देश्यों के लिए प्रेषित धन पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को हटा दिया गया, जहाँ ऐसा प्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से हो।

- **लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) से आय के लिए कर छूट**: इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए, प्रति वित्त वर्ष 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति पर किए गए लाभ) को आयकर से छूट दी गई है।

- **कर व्यवस्थाओं का विकल्प:** हालांकि नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया था, लेकिन करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प है। पुरानी व्यवस्था के तहत, व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाता इन छूटों/कटौतियों का दावा करने के पात्र हैं और उनके लिए कर प्राथमिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है।

सरकार ने समय-समय पर, आयकर स्लैब और कर दरों में बदलाव के माध्यम से मध्यम वर्ग के करदाताओं के कर बोझ को कम किया है। नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरें संबंधित आय स्लैब के लिए पुरानी व्यवस्था में कर दरों की तुलना में कम हैं। पिछले बजट में की गई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम कर देगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ देगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2025-26 में पेश किए गए प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व माफ कर दिया जाएगा।

****

(i) पुरानी व्यवस्था और बजट 2020-21 में शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत कर दरों और स्लैब की तुलना निम्नानुसार है: -

कर योग्य आय स्लैब (रु)	पुरानी व्यवस्था के तहत विद्यमान कर दरें	नई कर व्यवस्था के तहत नई कर दरें
2,50,000 तक	शून्य	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%	5%
5,00,001 से 7,50,000 तक	20%	10%
7,50,001 से 10,00,000 तक	20%	15%
10,00,001 से 12,50,000 तक	30%	20%
12,50,001 से 15,00,000 तक	30%	25%
15,00,000 से ऊपर	30%	30%

(ii) नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब और दरों को निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए बजट 2023-24 में निम्नानुसार संशोधित किया गया था: -

कर योग्य आय (रु)	दरें
रु. 3,00,000 तक	शून्य
रु. 3,00,001 से रु. 6,00,000 तक	5 %
रु. 6,00,001 से रु. 9,00,000 तक	10 %
रु. 9,00,001 से रु. 12,00,000 तक	15 %
रु. 12,00,001 से रु. 15,00,000 तक	20 %
रु. 15,00,000 से अधिक	30 %

(iii) नई कर व्यवस्था के तहत कर दरों को बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में संशोधित किया गया था, जो निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी था:

कर योग्य आय (रु.)	दरें
रु. 3,00,000 तक	शून्य
रु. 3,00,001 से रु. 7,00,000 तक	5 %
रु. 7,00,001 से रु. 10,00,000 तक	10 %
रु. 10,00,001 से रु. 12,00,000 तक	15%
रु. 12,00,001 से रु. 15,00,000 तक	20 %
रु. 15,00,000 से अधिक	30%

(iv) निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी पिछले बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरें इस प्रकार हैं:

कर योग्य आय (रु.)	दरें
रु. 4,00,000 तक	शून्य
रु. 4,00,001 से रु. 8,00,000 तक	5 %
रु. 8,00,001 से रु. 12,00,000 तक	10 %
रु. 12,00,001 से रु. 16,00,000 तक	15%
रु. 16,00,001 से रु. 20,00,000 तक	20 %
रु. 20,00,001 से रु. 24,00,000 तक	25%
रु. 24,00,000 से अधिक	30%

- मध्यम वर्ग के करदाताओं को कर लाभ की गणना के लिए कुछ उदाहरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

आमदनी	स्लैब और दरों पर कर		फ़ायदा पहुँचना	छूट लाभ	कुल लाभ	छूट के बाद कर लाभ
	वर्तमान	प्रस्तावित	दर/स्लैब	12 लाख रुपये तक		
8 लाख	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9 लाख	40,000	30,000	10,000	30,000	40,000	0
10 लाख	50,000	40,000	10,000	40,000	50,000	0
11 लाख	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
12 लाख	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
16 लाख	1,70,000	1,20,000	50,000	0	50,000	1,20,000
20 लाख	2,90,000	2,00,000	90,000	0	90,000	2,00,000
24 लाख	4,10,000	3,00,000	1,10,000	0	1,10,000	3,00,000
50 लाख	11,90,000	10,80,000	1,10,000	0	1,10,000	10,80,000

****

नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध छूट/कर लाभ:

(i) **धारा 10(10 ए ए) के तहत अवकाश नकदीकरण सीमा की छूट में वृद्धि:** बजट 2023-24 में, किसी कर्मचारी (केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी के अलावा) के मामले में सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन के 10 महीने तक की छुट्टी के नकदीकरण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर **25 लाख रुपये** कर दिया गया था।

(ii) कर्मचारी एनपीएस खातों में नियोक्ता (केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा) के योगदान के लिए **धारा 80सीसीडी(2)** के तहत कटौती को बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।

(iii) **वेतनभोगी व्यक्तियों** द्वारा प्राप्त निम्नलिखित भत्तों के लिए कर छूट उपलब्ध है:

- दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा पर हुए खर्चों को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भी यात्रा भत्ता;
- किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य ड्यूटी स्थान से अनुपस्थिति के कारण किए गए सामान्य दैनिक शुल्कों को पूरा करने के लिए कोई भी दैनिक भत्ता, चाहे दौरे पर दिया गया हो या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए,
- किसी कार्यालय या रोजगार के काम के सिलसिले में वाहन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई वाहन भत्ता;
- ऐसा कोई विशेष भत्ता या लाभ, विशेष रूप से किसी कार्यालय या रोजगार के काम के सिलसिले में पूरी तरह से किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है
- निर्धारिती को दिया गया कोई भी ऐसा भत्ता या तो उस स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए जहां उसके कार्यालय या लाभ के रोजगार के कामों के लिए आमतौर पर उसके द्वारा या उस स्थान पर किया जाता है जहां वह आमतौर पर रहता है, या उसे जीवन यापन हेतु बढ़े हुए खर्चों के लिए मुआवजा देने के लिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिस सीमा तक निर्धारित किया जा सकता है:

(iv) धारा 10(10ग) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि और धारा 10(10) के तहत ग्रेच्युटी के संबंध में कर छूट, निर्धारित सीमा के अध्यधीन।

(v) **अधिभार और अधिकतम कर दर में कमी:** नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को बजट 2023-24 में 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे अधिकतम दर 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत हो गई है।

(vi) **खुद के कब्जे वाली संपत्ति का वार्षिक मूल्य धारा 23 के तहत सरलीकृत किया गया है:** वर्तमान में करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर खुद के कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को 'शून्य' के रूप में दावा कर सकते हैं। करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बजट 2025 ने दो ऐसी खुद के कब्जे वाली संपत्तियों के लाभ की अनुमति दी, यदि मालिक इसे अपने निवास के लिए रखता है या वास्तव में किसी भी कारण से उस पर कब्जा नहीं कर सकता है।

(vii) **कुछ विशेष सुविधाओं की सीमा में वृद्धि:** बजट 2025 में अधिनियम की धारा 17 के तहत सुविधाओं की गणना करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए आय की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं को लाभ होगा।

****

टीडीएस/टीसीएस प्रावधान का युक्तिकरण: विभिन्न प्रावधानों के तहत टीडीएस दरों के लिए बढ़ी हुई सीमा, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	अधिनियम की धारा	बजट 2025 से पहले टीडीएस/टीसीएस सीमा (रु. में)	बजट 2025 में टीडीएस/टीसीएस सीमा (रु. में)
1	194 ए – प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज	(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000/- रुपये; (ii) अन्य के मामले में 40,000/- रुपये का भुगतान करने वाला बैंक, सहकारी समिति और डाकघर है (iii) अन्य मामलों में 5,000/- रुपये	(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,00,000/- रुपये; (ii) अन्य के मामले में 50,000/- रुपये की राशि जब भुगतानकर्ता बैंक, सहकारी समिति और डाकघर है (iii) अन्य मामलों में 10,000/- रुपये
2	194-I किराया	वित्तीय वर्ष के दौरान 2,40,000/- रुपये की राशि जारी की गई है।	50,000/- प्रति माह या एक महीने का हिस्सा
3	193- प्रतिभूतियों पर ब्याज	शून्य	10,000/-
4	194- लाभांश, एक व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए	5,000/-	10,000/-
5	194के- म्यूचुअल फंड या निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम की इकाइयों के संबंध में आय	5,000/-	10,000/-
6	194डी - बीमा कमीशन	15,000/-	20,000/-
7	194जी - लॉटरी टिकटों पर कमीशन, पुरस्कार आदि के माध्यम से आय	15,000/-	20,000/-
8	194एच - कमीशन या ब्रोकरेज	15,000/-	20,000/-
9	194 जे - पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क	30,000/-	50,000/-
10	194L ए - बढ़े हुए मुआवजे के माध्यम से आय	2,50,000/-	5,00,000/-
11	206 सी (1 जी) - एलआरएस और विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज के तहत प्रेषण	7,00,000/-	10,00,000/-
शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भेजी गई धनराशि पर कोई टीसीएस नहीं शिक्षा प्रयोजनों के लिए भेजी गई धनराशि पर टीसीएस को हटा दिया गया है, जहां ऐसा धन किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण के माध्यम से लेकर भेजा गया हो।			

****